यालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस.

रण सं0 –
3/2004/वाद पत्र

तारीख दायर
28.08.2004

तारीख फैसला
31.07.2019

उनवान

दा पिता देबी भील निवासी खेड़ी खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा –वादी

बनाम

1 तहसीलदार शाहपुरा
2 काना पिता मांगू गुर्जर निवासी खेड़ी खुर्द तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188, आरटीए एवं अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित:–1. श्री कल्याणमल धाकड़ :– अभिभाषक – वादी
2 श्री पेरोकार सरकार
3 श्री त्रिलोक चन्द नोलखा अभिभाषक :– प्रतिवादी नम्बर 2

<u>निर्णय</u>

उनवानी मामले में वाद पत्र खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ति स्थाई निषेधाज्ञा एवं अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है। वादी ने वाद पत्र विरूध्द प्रतिवादीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की ग्राम खेड़ी खुर्द पटवार हल्का गिरड़िया तहसील शाहपुरा में साबिक आराजी नम्बर 251/9 रकबा 5 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। भू बंदोबस्त के दौरान नये खसरा नम्बर कायम नही किये गये तथा नया नक्शा ट्रेस भी नही किया गया। दिनांक 20.10.1971 को मी. न. 153 के आधार पर मुझ वादी के आवन्टन हुई थी, जो गैर खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड होकर कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त आराजी का इन्तकाल नम्बर 138 दिनांक 30.09.1973 के आधार पर मेरे पक्ष में राजस्व दस्तावेजों में नामान्तरकरण खोला गया। नया नक्या तरमीम नही किया तथा मेरी खातेदारी समाप्त कर दी गई जो अवैध होकर कानून के विरूद्ध है। मेरे कब्जे काश्त की भूमि पर काना पिता मांगू गुर्जर के नाम नये खसरा नम्बर 646 रकबा 1.17 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 647 रकबा 0.97 हैक्टेयर अंकित कर खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 की अंकित कर दी गई है, जो कि गैर कानूनी है। खसरा संख्या 251 मी. बड़ा रकबा है जो 57 बीघा 6 बिस्वा बिलानाम सरकार थी। इस भूमि में वादी व प्रतिवादी को भूमि आवंन्टन हुई थी, मुझ वादी के साबिक आराजी संख्या 251/9 रकबा 5 बीघा व प्रतिवादी की भूमि के साबिक आराजी संख्या 251/12 ख रकबा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख .....31..... माह .....7..... सन् .....2019.....

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

...24र

9 बीघा है। प्रतिवादी संख्या 2 वादी के कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल नही करे न ही अन्य व्यक्तियों के द्वारा या नोकरों, एजेन्टों के द्वारा ही करावें। इस हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः वाद के पैरा संख्या एक में वर्णित कृषि साबिक आराजी संख्या 251/9 रकबा 5 बीघा का नवीन भू – बन्दोबस्त के दौरान वादी का खाता कायम नही किया गया व नया नक्शा तरमीम नही किया गया, जो वादी के कब्जे अनुसार हाल खसरा संख्या 646 रकबा 1.17 हैक्टेयर की डिक्री वादी के पक्ष में
तथा प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध बक्षायी जावें। हाल खसरा संख्या 647 रकबा 0.97 हैक्टेयर भूमि की डिक्री बिलानाम सरकार बक्षायी जावें। दोराने वाद प्रतिवादी संख्या 2 वादी के कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर कब्जा कर ले तो प्रतिवादी से पुनः कब्जा करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमायी जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 29.10.04 को प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए एवं प्रतिवादी नम्बर 2 की ओर से अभिभाषक श्री त्रिलोक चन्द नोलखा ने अधिकार पत्र पेश किया। प्रकरण जवाब दावा प्रतिवादीगण के नियत किया गया। दिनांक 29.09.2005 को प्रतिवादीगण का जवाब दावा बन्द किया जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 29.11.05 को अभिभाषक प्रतिवादी न0 2 द्वारा प्रार्थना पत्र 151 जा0दी0 पेश किया। जिसकी नकल अभिभाषक वादी को दी जाकर प्रकरण जवाब/बहस के नियत किया गया। दिनांक 15.12.05 को अभिभाषक वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण बहस प्रार्थना पत्र के नियत किया गया। दिनांक 19.04.2006 को बहस प्रार्थना पत्र सुनी जाकर दिनांक 26.04.2006 को प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। दिनांक 29.06.2006 को वादी स्वयं का शपथ पत्र एवं भैरू भील का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में पेश किया गया, जो क्रमश पी0डब्ल्यू0 1, पी0डब्ल्यू0 2 होकर प्रति अभिभाषक प्रतिवादी को दी जाकर प्रकरण जिरह के नियत किया गया। दिनांक 20.02.2007 को बालू गुजर का शपथ पत्र पेश किया गया जो पींडब्लू 3 है। दिनांक 20–02–2007 को उभय पक्ष अभिभाषकों की जिरह की गई। प्रकरण अंतिम बहस हेतु नियत किया गया। दिनांक 23–07–2019 को बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

मैनें पत्रावली एवं प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया जिससे विदित है कि वादी उदा भील को ग्राम खेड़ी खुर्द साबिक आराजी नम्बर 251/9 रकबा 5 बीघा भूमि का आवन्टन होना व गैर खातेदारी से दर्ज होना प्रमाणित हुआ है। किन्तु वक्त सेटलमेन्ट आवन्टी का कब्जा न होने से खाता कायम नही हुआ है। न ही नक्शे में कब्जे के अभाव में तरमीम होना पाया गया है। वादी ने साबिक आराजी नम्बर 251/9 के नये नम्बर व नक्शा मेल नही खा रहा है। प्रकरण में कमीश्नर रिपोर्ट ली गई तो उसमें भी

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 31 माह 7 सन 2019

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

हाल नम्बर जो बनने चाहिए, जिस पर वादी का कब्जा नही है। ऐसी स्थिति में वादपत्र खारिज किया जाना उचित समझता हूं।

–:: आदेश ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89, 188, आरटीए एवं अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्ध प्रतिवादीगण के सिद्ध करने में असफल रहने से खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

हस्तखत व मोहर से आज तारीख ....31.... माह ....7.... सन ....2019....

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री महावीर प्रसाद नायक RAS

श्री उदा पिता देवा जाति नि० खेड़ी खुर्द तह० शाहपुरा — वादी

बनाम श्री तहसीलदार शाहपुरा
2- काना S/o मांगु गुर्जर नि० खेड़ी खुर्द तह० शाहपुरा — प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89-188 RTA एवं धारा 136 LRA

मुकदमा नम्बर 153 सन् 04 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण के सिद्ध करने में असफल रहने से खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द सूलयाबी तक अदा करें ।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 31 माह 7 सन्

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)